इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 फरवरी 2015—माघ 27, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्र. एफ-19-4-2015-एक-4.—सी.आर.पी.एफ. को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (क्रमांक 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1, 2, 3, 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा, तहसील नीमच, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) के ग्राम नीमच केन्ट स्थित सी.आर.पी.एफ. के आधिपत्य की भूमि में पूर्व से स्थापित फायरिंग रेंजों जो नीचे अनुसूची में दर्शायी गई हैं को मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के लिये फायरिंग रेंज सह-एब्सल्युट सेफ्टीजोन दिनांक 1 जनवरी 2015 से प्रारंभ होने वाले तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त होने वाले दस वर्षों की कालावधि के लिये निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्राधिकृत किया जा सकेगा :—

(1) सेना सुरक्षा विभाग द्वारा अपनी भूमि पर ही मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास किया जा सकेगा.

(2) एब्सुल्युट सेफ्टीजोन में जो भूमियां दर्शायी गई हैं उनके सैन्य अभ्यास के दौरान कम से कम जन-धन हानि हो इसका प्रयास सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.

(3) सैन्य अभ्यास के दौरान जन-हानि, पशु हानि, फसल आदि की हानि होने पर सुरक्षा विभाग को नियमानुसार मुआवजा राशि आदि का भुगतान करना होगा, उक्त रेंज के अन्तर्गत एवं आसपास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग आफिसर की होगी.

(4) सैन्य अभ्यास के दौरान पहुंच मार्ग में आम रास्ता बन्द नहीं किया जायेगा. इन रास्तों को प्रारंभ रहने देने की शर्तें के साथ मध्यप्रदेश सैन्य चालन, मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होंगी (फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सुरक्षा विभाग को अदा करना होगा, यदि सैन्य अभ्यास दिवसों में रास्ते बन्द किये जाते हैं तो आवागमन हेतु रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बन्द कराना होगा.

(5) सेना सुरक्षा विभाग को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट, 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम, 1964 में दर्शाये नियमों का पालन करना होगा.

(6) उक्त फील्ड फायरिंग रेंजों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते, परन्तु वन संरक्षण की दृष्टि से फायरिंग रेंज के सेफ्टीजोन में बड़े वृक्षों के साथ छोटे वृक्षों का वृक्षारोपण सेना सुरक्षा विभाग को विभिन्न चरणों में पूरा करना होगा ताकि वृक्षारोपण कॉम्पेक्ट बने और क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कम हो.

(7) फायरिंग के दौरान वन सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा इस दौरान कोई हानि होती है तो नियमानुसार मुआवजे का भुगतान, सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.

(8) सेना सुरक्षा विभाग को लिखित वचन-पत्र देना होगा कि वे उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु तथा भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो उन शर्तों को मानने के लिये बाध्य होंगे.

(9) भू-रेखांक का निरीक्षण रोस्टर कलेक्टर, जिला नीमच के कार्यालय में किया जा सकेगा, क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	फायरिंग रेंज का नाम/ विवरण (2)	जिला (3)	तहसील (4)	ग्राम का नाम (5)	राजस्व भूमि का क्षेत्र (6)	वन भूमि (7)
1	50 गज इंडोर पिस्टल फायरिंग रेंज व 100 से 500 गज लॉग फायरिंग रेंज ग्रुप केन्द्र केरिपुबल, नीमच	नीमच	नीमच	नीमच केन्ट	ग्रुप केन्द्र में एक 100 से 500 गज तक फायर की जाने वाली फायरिंग रेंज है, जिसकी फायरिंग की दिशा में (पश्चिम की ओर) आगे की तरफ 01 किलोमीटर तक घने जंगल व पेड़-पौधे हैं और आगे जाने पर एक किलोमीटर पर कनावटी गांव आता है तथा पीछे की तरफ (पूर्व) दिशा में 1.5 से 02 किलोमीटर जंगल है. बाईं तरफ 800 मीटर से 01 किलोमीटर तक पेड़ पौधे हैं एवं उसके आगे ए.टी.सी. ट्रेनिंग ग्राउण्ड है. दाएं तरफ फायरिंग रेंज से लगाकर 800 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक घनी झाड़ियां आती हैं. इसी के नजदीक 50 मीटर से 50 गज की शॉर्ट फायरिंग रेंज है, जिसमें 50 गज तक की पिस्टल फायरिंग की जाती है.	
2	आउटडोर/शॉर्ट फायरिंग रेंज, आरटीसी, केरिपुबल, नीमच.	नीमच केन्ट	नीमच	नीमच	ग्रुप केन्द्र कैम्पस में आरटीसी क्षेत्र में एक आउटडोर फायरिंग रेंज है, जिसमें फायरिंग की दिशा में उत्तर व उत्तर-पश्चिम में 800 गज तक घनी झाड़ियां व पेड़ पौधे हैं. पीछे की तरफ एक किलोमीटर तक झाड़ियां व ग्राउण्ड है. बाएं तरफ 800 मीटर पर आरटीसी का मुख्यालय एवं दाएं तरफ एक किलोमीटर तक पेड़-पौधे व और आगे चलने पर सी.आर.पी.एफ. की बाउण्ड्री आ जाती है.	
3	हैण्ड ग्रेनेड फायरिंग रेंज सीटीसी, केरिपुबल, नीमच.	नीमच केन्ट	नीमच	नीमच	ग्रुप केन्द्र कैम्पस के सीटीसी क्षेत्र में एक हैण्ड ग्रेनेड फायरिंग रेंज है, इसमें समूह ग्रेनेड फायर किए जाते हैं. ग्रेनेड फायरिंग की दिशा (उत्तर-पश्चिम) है, जिसमें 800 मीटर तक आगे तक पेड़-पौधे व झाड़ियां हैं और आगे सी.आर.पी.एफ. की बाउण्ड्री वॉल आ जाती है. पीछे की तरफ 01 किलोमीटर तक सीटीसी नीमच का ट्रेनिंग ग्राउण्ड आ जाता है. उत्तर व दक्षिण दिशा में 01 से 02 किलोमीटर तक जंगल इलाका आता है.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.